of India

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] No. 1201 नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पीप 30, 1930

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

सक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सलाहकार समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अथात :--

उक्त अधिसूचना में ''(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951'' से आरम्भ होने वाले और ''उद्यमों की दशा में जैसे—'' पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या ऑतिम उत्पाद, जो एक सुधिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में,"

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

माधव लाल, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 ठप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1642(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2009

s.o. 199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642 (E), dated the 29th September, 2006, namely:-

In the said notification, for the portion beginning with the brackets, letter and words "(i) in the case of the enterprises" and ending with words, brackets and figures "the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as--" the following shall be substituted, namely,-

"(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as "

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]
MADHAV LAL, Addl. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,
Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1642 (E), dated the 29th September, 2006.